संख्या- 38/2015/758/35-1-15-6/8(16)/2010

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊ:दिनांक: 31 अगस्त,2015***

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में एल0डब्ल्यू0ई0 प्रभावित जनपदों के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-640/एस0सी0ए0/बजट-14-15, दिनांक 23.06.2015 का क़पया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एल0डब्ल्यू0ई0 से प्रभावित जनपदों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में चलाई जा रही योजना, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा तीनों जनपदो (चन्दौली/मिर्जापुर/सोनभद्र) को रू0 30.00 करोड प्रति जनपद की दर से धनराशि अवमुक्त की जाती रही है। वर्ष 2014-15 में तीनों जनपदों को रू0 20.00 करोड प्रति जनपद की दर से कुल रू0 60.00 करोड की धनराशि अवमुक्त कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में उक्त योजना को डी-लिंक कर दिया गया है, जिसमें से जनपद चन्दौली के 161 चालू कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु कुल रू0 1023.31 लाख (रूपये दस करोड तेईस लाख इकत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की आवश्यकता बतायी गई है।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद के चालू कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु श्री राज्यपाल प्रश्नगत कुल रूपये 10,23,31,000/- (रूपये दस करोड तेईस लाख इकत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

(1) इस संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि के व्यय का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त–पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चत कर लिया जाय कि पूर्व में प्रश्नगत कार्य के लिए किसी भी स्रोत से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य वित्त योजना हेतु किसी भी विभाग की कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

(8) जहॉ आवश्यक हो, वहॉ शासन/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि रू0 1023.31 लाख (रूपये दस करोड तेईस लाख इकत्तीस हजार मात्र) कोषागार से आहरित कर शासनादेश संख्या-भा0स0-06/35-1-2011-6/8(16)/2010 दिनांक 13.01.2012 के अनुसार इस योजना के प्रयोजन हेतु खोले गये बचत बैंक खाते में रखी जायेगी। तदुपरान्त उपरोक्तानुसार व्यय/उपयोग की जायेगी।

5. उपरोक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-06-जनपद चन्दौली एवं मिर्जापुर के लिए एकीकृत कार्य योजना-01-पूॅजीगत कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0ई0-5-1072(1)/दस-2015, दिनांक 24 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

सख्या- 38/2015/758(1)/35-1-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-सलाहकार, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4-मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5-मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
6-वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली।
7-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
8-निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,लखनऊ।
9-श्री वीरेन्द्र कुमार, व0शो0 अधिकारी, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, रा0नि0सं0, लखनऊ।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।